नाबार्ड द्वारा ऋण के लिये निर्धारित राशि में 20 प्रतिशत कटौती किया जाना

2130. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने चालू वर्ष के दौरान अपनी ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु निर्धारित राशि में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस निर्णय के साथ-साथ उन्होंने ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दरों में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त बैंक द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कुल कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(ङ) ऋण के लिये निर्धारित राशि में 20 प्रतिशत की कटौती किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने ऋणों के लिए निर्धारित राशि में कटौती करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, उपलब्ध पुनर्वित्त की मात्रा को युक्तियुक्त बनाने के लिए, नाबार्ड ने 1 अगस्त, 1995 से कतिपय श्रेणियों में वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वित्त की दर को कम करने का निर्णय लिया है। राज्य भूमि विकास बैंकों (एसएलडीबी) के मामले में, कोई कटौती नहीं की गई है क्योंकि वे निधियों के लिए मुख्यतः नाबार्ड पर आश्रित है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने 1 अगस्त, 1995 से वाणिज्यिक बैंकों के तीन वर्ष से अधिक की सावधि ऋणों के लिए सभी ऋण सीमाओं (स्लैबों) में अपने योजनाबद्ध ऋणों के लिए पुनर्वित्त के ब्याज दरों में 0.5% से 1.0% तक का अर्धगामी संशोधन किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एसएलडीसी के मामले में 25,000/- रु॰ तक और 25000/- रु॰ से अधिक और 2 लाख रु॰ तक की ऋण सीमाओं में, 3 वर्षों और उससे अधिक के सावधि ऋणों के लिए ऐसी कोई वृद्धि नहीं की गई है। 2 लाख रुपए से अधिक की उच्चतम ऋण सीमा में, नाबार्ड ने 1.8.1995 से अपने पुनर्वित्त पर ब्याज दर में 12% वार्षिक तक संशोधन किया है। सामान्य और विशेष डिबेंचर कार्यक्रम के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा एसएलडीबी को उपलब्ध कराये गए अन्तरिम पुनर्वित्त पर ब्याज दर को 10% तक बढ़ाया गया है। तथापि, बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं और स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण करने की प्रौद्योगिक योजना के पुनर्वित्त को ब्याज दरों के संशोधन से मुक्त रखा गया है।

(घ) नाबार्ड ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अन्तर्गत विभिन्न एजेंसियों को क्रमशः 2359 करोड़ रुपए, 2745 करोड़ रुपए और 3011 करोड़ रुपए की सीमा तक पुनर्वित्त उपलब्ध करवाया है।

Banks to come out with Public Issues

2131. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Public Sector Banks have been advised by the Government to resort to public issues only if it is necessary to do so, to reach minimum capital adequacy ratios;

(b) if not, for what other purposes can banks resort to public issues; and

(c) names of banks which have come out or likely to come out with public issues during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 and the level of their capital adequacy ratios present and projected after the issues?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) No, Sir.

(b) In addition to achieving the capital adequacy ratio, the public sector banks have to raise their level of capital for the following reasons also:

1. With the growth in deposits, funded risk assets and off-balance sheet items would increase commensurately and this would necessitate enhancement in net-worth to comply with capital adequacy norm.

2. As per the present RBI guidelines on lending under consortium arrangement, the share of a bank as a member of the consortium should be a minimum of 5 per cent of the fund based credit limits so as to ensure meaningful participation.

3. The banks have to also observe the credit exposure norm of 25 per cent of the net-worth in the case of individual borrowers and 50 per cent in the case of group of borrowers.

(c) The names of public sector banks which have gone public during 1993-94 and 1994-95 and the details of their capital to risk asset ratio before issue and after issue, as reported by RBI, are given below:

Name of the Bank	Capital to risk asset ratio	
	Before Issue	After Issue
1993-94		
State Bank of India	4.5%	12.9%
1994-95		
Oriental Bank of Commerce	10.2%	18.7%

There is no proposal, at present, regarding public issue of capital by public sector banks in 1995-96.

Credit Deposit Ratio of Banks

2132. **SHRI ASHOK MITRA:**
SHRI DILIP SINGH JUDEV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the credit-deposit ratio for the banking industry as a whole with respect to each of the constituent states of the Union for each of the years since 1991-92;

(b) whether a special review was recently undertaken to initiate measures for improving the credit deposit ratio in the case of Jammu and Kashmir; and

(c) whether similar reviews are proposed to be undertaken for each of the other States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) The Credit Deposit Ratios (CDR) of Scheduled Commercial Banks, State-wise, as on the last Friday of March 1992, March 1993, March 1994 and March 1995 are given in the Statement (*see* below).

(b) and (c) In the State Level Bankers' Committee (SLBC) meetings, among other matters, the subject of CDR is also generally discussed. In some of the States/Union Territories where CDR is low, specific Task Forces have been constituted to identify the reasons for low CDR and suggest remedial measures for improving the position. The measures for improving the CDR in the State of Jammu and Kashmir were last reviewed in the meeting of SLBC held on 15th July, 1995.